

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(48) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(72) दिनांक 21 जुलाई 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापारकी इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उसइनपुट कर का क्रेडिटनहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.;

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.;

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (V) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (48), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th December 2023

No. F A 3-32/2017/1/V(48) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA3-32-2017-1-V(41) date 29th June 2017 namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

- (i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

- (ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

(iii) against serial number 34, -

(a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;

(b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) against serial number 34, -

(a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;

(b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-

(i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.